

परियोजना का नाम:-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ली.टी. (डांगली)
तहसील का नाम कपकोट, जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत श्री. मुख्यामेली होषणा के अन्तर्गत श्री. मुख्यामेली डांगली परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वनभूमि 100 हे० सिविल सोयम भूमि 0.990 हे० वन पंचायत भूमि 3.870 हे० अर्थात् कुल 4.860 हे० वनभूमि का लो०नि०वि० कपकोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ली.टी. (डांगली) द्वारा दिनांक 25/08/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ली.टी. (डांगली) के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि लो०नि०वि० कपकोट प्रयोक्त एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव

10/09/15
ग्राम पंचायत ली.टी. (डांगली)
वि० ख० कपकोट (बागेश्वर)

ह०/-

ग्राम प्रधान

श्री. मुख्यामेली होषणा के अन्तर्गत
(1) दर्जगईट मोहवा पूर्व प्रधान ली.टी. (डांगली)

(2) श्री. 12/12/15

सदस्या श्री. मुख्यामेली होषणा
क्षेत्र पंचायत ली.टी. (हाम्पीकापडी) 10-7
वि० ख० कपकोट जनपद-बागेश्वर

श्री. 12/12/15

परियोजना का नाम:- माननीय मुख्यमंत्री छोड़ना कृष्णवर्णित कपकोट शामा मोद मर्गि सञ्ज्ञानधुरा
होते दुश डोगरी लक मोद मर्गि का निमेषि (05 कि० मी०).

दिनांक 25/08/15 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत लीती (लोक - डागती)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	पुलाप सिंह 5/0 श्री हर सिंह	पुलाप सिंह
2	उकीन सिंह 5/ राम सिंह	उकीन सिंह
3	रुन सिंह 5/0 राम सिंह	रुन सिंह
4	पाना सिंह 5/0 राम सिंह	पाना सिंह
5	शिव सिंह 5/0 राम सिंह	शिव सिंह
6	चम्पा देवी 5/0 राम सिंह	चम्पा देवी
7	राधा देवी 5/0 राम सिंह	राधा देवी
8	शुद्धा देवी 5/0 राम सिंह	शुद्धा देवी
9	पावली देवी 5/0 राम सिंह	पावली देवी
10	देवुली देवी 5/0 राम सिंह	देवुली देवी

सदस्या भागीरथी देवी
सेत्र पंचायत लीती (हाम्दीकाली) 10-9-15
वि० सं० कपकोट जनपद-बागेश्वर

ग्राम पंचायत लीती
वि० सं० कपकोट (बागेश्वर)

ह०/-
ग्राम प्रधान

वन पंचायत लीटी की बैठक कार्यवाही

दिनांक 21/1/2015 को वन पंचायत पंचायत की बैठक हुई जिसमें

गानधूस छेते ड्ये डोगरी तक 6 किमी मोटर मार्ग तक

मोटर मार्ग के समरेखण में वन पंचायत की भूमि आ रही है जिसमें स्वतंत्र सम्बन्ध में ग्रामवासियों एवं वन पंचायत सदस्यों के साथ वन को पानी सर्व सम्मति से यह राय व्यक्त की गयी कि मोटर मार्ग का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है अतः मोटर मार्ग निर्माण में आने वाली वन पंचायत भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया तथा सरपंच महोदय को अधिकृत किया

गया कि स्वतंत्र प्रस्ताव की पूर्ण प्रति अधिशासी अभियन्ता महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट

को कार्यालयी हेतु भेजा जावे।

दिनांक 21/1/2015

स्थान: पंचायत

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को सूचनार्थ एवं तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपस्थित सदस्य वन पंचायत

- | | |
|---------------|-------------|
| ① धना देवी | धाना देवी |
| ② शेर राम | शेराम |
| ③ गोविंद सिंह | गोविंद सिंह |
| ④ दागुली देवी | दागुली देवी |
| ⑤ दिवान सिंह | दिवान सिंह |
| ⑥ हर सिंह | हर सिंह |
| चतुस देवी | चतुस देवी |

हो गोविंद सिंह
सरपंच
वन पंचायत लीटी
पो. लोती
जनपद-बागेश्वर

गोविंद सिंह
सरपंच
वन पंचायत लीटी
पो. लोती
जनपद-बागेश्वर

सदस्य धाना देवी
वन पंचायत लीटी (हाम्दीकापडी) 10-9-
वि० कपकोट जनपद-बागेश्वर

वन पंचायत नानी पंचाली बैठक कार्यवाही

दिनांक 2/9/15 को वन पंचायत नानी पंचाली की बैठक हुई जिसमें

समझा दोते डर जागती तक मोटर मार्ग 6 किमी.

मोटर मार्ग के समरेखण में वन पंचायत की भूमि आ रही है जिसमें उक्त सम्बन्ध में ग्रामवासियों एवं वन पंचायत सदस्यों के साथ गप्पा को मिला। सर्व सम्मति से यह राय व्यक्त की गयी कि मोटर मार्ग का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है, अतः मोटर मार्ग निर्माण में आने वाली वन पंचायत भूमि लो0नि0वे0 को हस्तान्तरित करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया तथा सरपंच महोदय को अधिकृत किया गया कि उक्त प्रस्ताव की एक प्रति अधिशासी अभियन्ता महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वे0, कपकोट को कार्यवाही हेतु भेजा जाय।

दिनांक :-

स्थान :-

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वे0, कपकोट को सूचनार्थ एवं तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपस्थित सदस्य वन पंचायत

- (1) नरमल सिंह S/O रतन सिंह - नरमल सिंह
- 2- मधन सिंह S/O गोपाल सिंह - मधन सिंह
- 3- रवीम सिंह S/O दावान सिंह - रवीम सिंह
- 4- हीरादेवी W/O पान सिंह - हीरादेवी
- 5- जयन्ती देवी W/O प्रवीण सिंह - जयन्ती देवी
- 6- हीरादेवी W/O कुन्दन सिंह - हीरादेवी
- 7- राम सिंह S/O रतन सिंह - राम सिंह

ह0

कल्याण सिंह

सरपंच

सरपंच

वन पंचायत नानी पंचाली

पो0, वि0 ख0 पंचाली

जनपद बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

सरपंच

कल्याण सिंह

सरपंच

वन पंचायत नानी पंचाली

पो0, वि0 ख0 पंचाली

जनपद बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

परियोजना का नाम:- माननीय मुख्यमंत्री होशंगा के अन्तर्गत विधानसभा कपकोट के कपकोट शासित क्षेत्र में मोर मार्ग से ज्ञानपुरा डांगरी तक मोर मार्ग का विस्तार (05 कि०मी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम बड़ी पन्नाली
तहसील का नाम कपकोट, जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत शामा ज्ञानपुरा से डांगरी तक मोर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वनभूमि, ०० हे० सिविल सोयम भूमि ०.११० हे० वन पंचायत भूमि ३.८२० हे० अर्थात् कुल ४.८६० हे० वनभूमि का लो०नि०वि० कपकोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बड़ी पन्नाली द्वारा दिनांक २५/०८/१५ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बड़ी पन्नाली के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि लो०नि०वि० कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

ह०/-
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र २१११
वि०ख०-कपकोट जिला-बागेश्वर
14/09/15

ह०/-
ग्राम प्रधान
प्रधान ०५/०९/१५
ग्राम पंचायत बड़ी पन्नाली
वि०ख० कपकोट जिला-बागेश्वर

दिनांक 25/08/2015 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत बड़ी पन्हाड़ी

38

वन पंचायत वडी पंचायती बैठक कार्यवाही

दिनांक 21/9/13 को वन पंचायत वडी पंचायती की बैठक हुई जिसमें

जान घुसा होते इस डांगली तक 6 किमी मोटर मार्ग

मोटर मार्ग को समरेखण में वन पंचायत की भूमि आ रही है जिसमें उक्त सम्बन्ध में ग्रामवासियों एवं वन पंचायत सदस्यों के साथ चर्चा की गयी। सर्व सम्मति से यह राय व्यक्त की गयी कि मोटर मार्ग का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है, अतः मोटर मार्ग निर्माण में आने वाली वन पंचायत भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित करने में किसी को कोई आशंका नहीं है।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से प्राप्त किया गया तथा सरपंच महोदय को अधिकृत किया गया कि उक्त प्रस्ताव की एक प्रति अधिशासी अभियन्ता महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को कार्यवाही हेतु भेजा जाय।

ह0

सरपंच

दिनांक :-

स्थान:-

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को सूचनार्थ एवं तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपस्थित सदस्य वन पंचायत

सरपंच

सरपंच महोदय

वन पंचायत वडी पंचायती

पो0, वि0 ख0 पंचायती

खण्ड, कपकोट (उत्तरप्रदेश)

1. श्री पि. को. मो. सिंह 5/10 5/10 5/10 - किमी. में
2. गोपुली देवी 5/10 5/10 5/10 - गोपुली देवी
3. लो. 1. 5/10 5/10 5/10 - लो. 1. 5/10 5/10 5/10
4. 5/10 5/10 5/10 - 5/10 5/10 5/10
5. 5/10 5/10 5/10 - 5/10 5/10 5/10
6. 5/10 5/10 5/10 - 5/10 5/10 5/10
7. 5/10 5/10 5/10 - 5/10 5/10 5/10

मो. देवी
लो. 1.
लो. 1.
लो. 1.
लो. 1.